



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48322

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2676 वर्ष 2026

संजय कुमार मौर्या

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता : सिद्धार्थ खरे

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : सी०एस०सी०

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे का संक्षिप्त विवरण (ब्रीफ) धारण करने वाले श्री हिमांशु सिंह (ए/एच 0277/2019) अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद सिंह को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद सिंह द्वारा अनुदेश उपलब्ध कराए गए हैं, जो निवेदन करते हैं कि वे अनुदेशों से भली-भांति अवगत हैं और अनुदेश रिट याचिका के निस्तारण के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं और वह कोई अतिरिक्त शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं तथा याचिका पर अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जाए, इस प्रकार पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नवीन प्रक्रम (फ्रेश स्टेज) पर ही निर्णय लिया जा रहा है।
3. रिट याची का मामला यह है कि वह उत्तर प्रदेश राज्य के सिंचाई विभाग में एक अवर अभियंता है, 13.06.2025 को प्रमुख अभियंता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा रिट याची का स्थानांतरण सिंचाई निर्माण खंड, सिद्धार्थ नगर से सरयू नहर अनुरक्षण खंड, गोंडा कर दिया गया और तत्पश्चात अभिकथित रूप से रिट याची को 23.06.2025 को कार्यमुक्त कर दिया गया। स्थानांतरण आदेश पर प्रश्न उठाते हुए, रिट याची ने रिट-ए संख्या 9224 वर्ष 2025 (संजय कुमार मौर्या बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य) दाखिल की, जिसमें 10.07.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:

"याची की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदन यह है कि इस याचिका में आक्षेपित मुख्य अभियंता परियोजना द्वारा पारित दिनांक 13.06.2025 का स्थानांतरण आदेश प्रकृति में कलंकपूर्ण है क्योंकि यह वर्तमान तैनाती के स्थान पर याची के कार्य और आचरण के संबंध में लांछन लगाता है।

वह निवेदन करते हैं कि 05.06.2025 को अधीक्षण अभियंता द्वारा शिकायत के रूप में कुछ सिफारिश की गई थी, जिसे इस आरोप के साथ याची के स्थानांतरण का आधार बनाया गया है कि याची अपने प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन में रुचि नहीं ले रहा है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यदि स्थानांतरण का ऐसा आदेश तैनाती के स्थान पर कर्मचारी के कर्तव्यों के निर्वहन के मामले में प्राधिकारियों द्वारा की गई शिकायत के रूप में किसी सिफारिश पर किया जाता है तो वह प्रकृति में दंडात्मक होगा।

इस प्रक्रम पर विद्वान स्थायी अधिवक्ता मामले में अनुदेश प्राप्त करने के लिए समय मांगते हैं। तदनुसार उन्हें मामले में अनुदेश प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है।

इस मामले को रिट ए संख्या 9142 वर्ष 2025 के साथ संबद्ध करें और उक्त मामले में नियत तिथि पर सूचीबद्ध करें।

इस बीच दिनांक 13.06.2025 के स्थानांतरण आदेश के अनुसरण में याची के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

4. तत्पश्चात अंतरिम आदेश प्रदान किए जाने के पश्चात रिट याची ने, रिट याची ने 23.07.2025 को अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खंड, सिद्धार्थ नगर के समक्ष कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, अंततः रिट-ए संख्या 9224 वर्ष 2025 को 31.07.2025 को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिट-ए संख्या 9142 वर्ष 2025 में पारित आदेशों के निबंधनों के अनुसार स्वीकार कर लिया गया, रिट-ए संख्या 9224 वर्ष 2025 में पारित आदेश को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"1. इस मामले में अंतर्वलित विवाद जिसके कारण याची का स्थानांतरण हुआ है, रिट-ए संख्या 9142 वर्ष 2025 में अंतर्वलित विवाद के ही समान है जिसे आज स्वीकार कर लिया गया है।

2. परिस्थितियों में, यह रिट याचिका भी इस न्यायालय द्वारा रिट-ए संख्या 9142 वर्ष 2025 में आज की तिथि को पारित आदेश के निबंधनों के अनुसार स्वीकार की जाती है।

3. दिनांक 13.06.2025 का स्थानांतरण आदेश एतद्वारा उन्हीं निर्देशों और सिद्धांतों के साथ अभिखंडित किया जाता है जो इस न्यायालय द्वारा रिट-ए संख्या 9142 वर्ष 2025 में पारित आदेश में दिए गए हैं।"

5. रिट-ए संख्या 9142 वर्ष 2025 (शंभू नाथ कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य) में पारित आदेश को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"1. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने मामले में अनुदेश प्राप्त कर लिए हैं जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है, जिसकी प्रति याची के विद्वान अधिवक्ता को उपलब्ध करा दी गई है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे का संक्षिप्त विवरण (ब्रीफ) धारण करने वाले अधिवक्ता श्री हिमांशु सिंह की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दाखिल इस याचिका के माध्यम से, याची ने दिनांक 13.06.2025 के आदेश पर आक्षेप किया है, जिसके द्वारा उसे सिद्धार्थ नगर से अयोध्या स्थानांतरित कर दिया गया है, जो प्रकृति में कलंकपूर्ण और इसलिए दंडात्मक है।

4. यह निवेदन किया गया है कि आदेश में अंतर्विष्ट विवरण ही यह दर्शाते हैं कि उच्च प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों के अभिकथित उल्लंघन या अनुपालन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में याची का स्थानांतरण किया गया है, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वह अभिकथित अवचार की कोटि में आता है। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि स्थानांतरण दो स्पष्ट कारणों से दूषित है: पहला, कर्मचारी संघ का पदाधिकारी होने के नाते याची को प्रथम दृष्टया दिनांक 06.05.2025 की स्थानांतरण नीति के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुसंगत खंड 12 के दृष्टिगत स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिए था, जो संघ के नेताओं को अपवादात्मक मामलों के रूप में अलग करता है; और दूसरा, स्थानान्तरण दंडात्मक कार्रवाई के रूप में नहीं किया जा सकता है।

5. अपने उपरोक्त दूसरे निवेदन के समर्थन में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने सोमेश तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 2009 सुप्रीम कोर्ट 1399 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने मामले में अनुदेश प्राप्त कर लिए हैं और अनुदेशों के अनुसार, याची को दिनांक 06.05.2025 की स्थानान्तरण नीति के खंड 12 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन में स्थानान्तरित किया गया है, जिसके अनुसार, यदि पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें हैं और यदि वे अनुशासनहीनता के परिणामस्वरूप होने वाली किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं जो कर्तव्य के पालन को प्रभावित करती है और अवचार का संकेत भी है, तो ऐसे मामलों में पदाधिकारियों को भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। उन्होंने दिनांक 06.05.2025 की स्थानान्तरण नीति के खंड 12 को न्यायालय के समक्ष रखा है, जो इस प्रकार है:-

"12. सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण:- सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के प्रदेश / मण्डल / जिला स्तर के अध्यक्ष एवं सचिव के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पद धारित करने की तिथि से 2 वर्ष तक न किये जायें। किन्तु उक्त पदाधिकारियों को यह सुविधा देने का अर्थ यह नहीं है कि जनहित के विरुद्ध कार्य करने, कदाचार अथवा भ्रष्ट आचरण करने पर भी उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता।

लापरवाही, भ्रष्टाचार व आपराधिक कृत्य, अनुशासनहीनता व दुराचरण में लिप्त होने के पुष्टिकारक तथ्य लाये जाने पर या ऐसे मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ होने पर निम्न प्रक्रिया का पालन करते हुये उक्त पदाधिकारियों को पूरे सत्र में कभी भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा:-

i. जनपद में तैनात सेवा संघों के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण संबंधित जिलाधिकारी एवं मण्डल में कार्यरत पदाधिकारी का स्थानान्तरण मण्डलायुक्त की संस्तुति पर सक्षम स्तर से किये जा सकेंगे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. मुख्यालय स्तर पर सेवा संघों के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष की संस्तुति के उपरांत शासन स्तर से किया जा सकेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त सेवा संघों के उक्त पदाधिकारियों का शासनादेश दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार पटल / क्षेत्र परिवर्तन अवश्य किया जायेगा तथा इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नियंत्रक प्राधिकारी की होगी।"

(बल दिया गया)

"7. अनुदेशों से आगे यह भी ज्ञात होता है कि एक बांध के निर्माण के प्रयोजनों के लिए उच्च प्राधिकारी के दिनांक 19.03.2025 के आदेश के अधीन याची को कुछ कार्य आवंटित किया गया था, लेकिन उच्च प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के बजाय, याची ने प्राधिकारी को वापस लिखा कि ऐसे दोहरे कर्तव्यों और संबद्धता आदेशों को पहले ही अनुज्ञेय नहीं माना गया है और इसलिए उसे जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह पत्र लिखे जाने पर अधिशासी अभियंता ने इसे गंभीरता से लिया और अपवाद स्वरूप याची से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की, जिस पर याची का कथन है कि उसने दिनांक 29.05.2025 के पत्र द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया और कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित करने तथा सहयोग करने के बजाय, प्राधिकारियों ने याची के स्थानान्तरण की सिफारिश करने की कार्यवाही की।

8. इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि यदि दंडात्मक कार्रवाई के रूप में याची का स्थानान्तरण किया जाना था, तो कारण बताओ नोटिस आवश्यक था, क्योंकि कुछ विभागीय कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप कार्रवाई के रूप में स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। सोमेश्वर तिवारी (उपरोक्त) के मामले में जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, उसके पैरा 19 और 20 को नीचे उद्धृत किया गया है:

"....19. निर्विवाद रूप से स्थानान्तरण का आदेश एक प्रशासनिक आदेश है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि स्थानान्तरण, जो सामान्यतः सेवा की एक घटना है, में हस्तक्षेप नहीं किया जाना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकारी की ओर से दुर्भावना साबित होती है। दुर्भावना दो प्रकार की होती है - एक तथ्य में द्वेष और दूसरी विधि में द्वेष ।

20. प्रश्नगत आदेश विधि में द्वेष के सिद्धांत को आकर्षित करेगा क्योंकि यह स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिए किसी सुसंगत कारक पर आधारित नहीं था और एक अप्रासंगिक आधार पर आधारित था अर्थात् गुमनाम शिकायत में अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर। यह कहना एक बात है कि नियोक्ता प्रशासनिक अनिवार्यताओं में स्थानांतरण आदेश पारित करने का हकदार है, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि स्थानांतरण आदेश दंड के रूप में या उसके स्थान पर पारित किया गया है। जब दंड के स्थान पर स्थानांतरण आदेश पारित किया जाता है, तो वह पूर्णतया अवैध होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।"

(बल दिया गया)

9. संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख, रिट याचिका में उठाए गए अभिवचनों और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अनुदेशों का परिशीलन करने के पश्चात, मैं पाता हूँ कि जिले में याची और प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के बीच हुए कुछ पत्राचार के कारण ही विवाद उत्पन्न हुआ जिसके कारण याची की ओर से अभिकथित अनुशासनहीनता या अवचार हुआ, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब वह कर्मचारी संघ का पदाधिकारी था। अंततः बातचीत करने और मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के बजाय, प्राधिकारी ने पदाधिकारी से छुटकारा पाने की कार्यवाही की और इसलिए एक स्थानांतरण आदेश पारित किया जिसमें यह कारण दिया गया कि याची घोर अनुशासनहीनता का दोषी था।

10. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, इस विधिक स्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कर्मचारी के विरुद्ध प्राधिकारी द्वारा इस विचार के परिणामस्वरूप की गई प्रतिकूल कार्रवाई कि ऐसे कर्मचारी ने अवचार किया है, उसे स्थानांतरित करने के लिए, प्रशासनिक शक्ति के ऐसे प्रयोग को विधि में द्वेष के लिए दूषित कर देगी। वर्तमान मामले में स्थानांतरण की गई कार्रवाई स्पष्ट रूप से दंड के रूप में प्रतीत होती है क्योंकि प्राधिकारियों द्वारा याची पर अनुशासनहीनता और उच्च प्राधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन करने का कारण नियत किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. इसलिए, इन परिस्थितियों में, स्थानान्तरण आदेश निश्चित रूप से सोमेश तिवारी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांत के दोष के अंतर्गत आएगा और इसलिए इसे अग्रहणीय ठहराए जाने योग्य है।

12. हालांकि, प्रत्यर्थी प्राधिकारियों के लिए प्रशासनिक अनिवार्यता में किसी कर्मचारी को स्थानान्तरित करने का विकल्प सदैव खुला है यदि वे पाते हैं कि ऐसा कर्मचारी परेशानी का कारण बन गया है, लेकिन इसके लिए, प्रशासनिक अनिवार्यता में कर्मचारी को स्थानान्तरित करने वाला केवल साधारण स्थानान्तरण आदेश पारित किया जाना चाहिए। इसलिए, ऐसे मामलों में कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी स्थानान्तरण नीति के अपवाद खंड में नहीं आएंगे और इसलिए उन्हें भी दिनांक 06.05.2025 की स्थानान्तरण नीति के खंड 12 का सहारा लेते हुए स्थानान्तरण के अधीन किया जा सकता है।

13. इन परिस्थितियों में, रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है।

14. दिनांक 13.06.2025 का आदेश एतद्वारा अभिखंडित किया जाता है।

15. हालांकि, प्राधिकारियों के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि यदि वे चाहें तो अगले सत्र 2026-2027 में प्रशासनिक अनिवार्यता में स्थानान्तरण आदेश पारित कर सकते हैं।”

6. चूंकि रिट याची के अनुसार, उसे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, इसलिए रिट याची ने 19.08.2025 को प्रमुख अभियंता, विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ के समक्ष एक और प्रत्यावेदन/अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात दिनांक 09.09.2025 का एक अन्य प्रत्यावेदन/अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। रिट याची ने इस संबंध में एक अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 5560 वर्ष 2025 भी प्रस्तुत किया जिसमें नोटिस जारी किए गए थे। तत्पश्चात रिट याची को 25.10.2025 को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई, हालांकि, जब रिट याची 24.06.2025 से 24.10.2025 तक की अवधि के लिए वेतन और लाभों के भुगतान के लिए अपना दावा करता है, तो उसे 02.01.2026 को अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खंड, सिद्धार्थ नगर द्वारा इस उल्लेख के साथ नकार दिया गया कि रिट याची को उक्त अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत करने हेतु आवेदन करना होगा, विशेष रूप से तब, जब 04.10.2025 और 13.10.2025 को कार्यभार ग्रहण करने की सलाह दिए जाने के बावजूद, रिट याची ने तत्काल कार्यभार ग्रहण नहीं किया, हालांकि, उसने 25.10.2025 को कार्यभार ग्रहण किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उसी पर प्रश्न उठाते हुए, रिट याची ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल की है।

8. आदेश पारित होने के पश्चात, आज अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खंड, सिद्धार्थ नगर के हस्ताक्षर के अधीन दिनांक 07.03.2026 के अनुदेश अग्रेषित किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट-ए के रूप में चिह्नित किया जाता है।

9. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश को केवल इस कारण से बनाए नहीं रखा जा सकता है कि यह मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू को छोड़ देता है कि दिनांक 13.06.2025 के स्थानांतरण आदेश पर प्रश्न उठाते हुए रिट याची द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका ग्रहण की गई थी और 10.07.2025 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसके पश्चात रिट याचिका स्वीकार की गई और 31.07.2025 को दिनांक 13.06.2025 के स्थानांतरण आदेश को अपास्त कर दिया गया था। निवेदन यह है कि एक बार स्थानांतरण अभिखंडित हो जाने पर, विधि की दृष्टि में यह माना जाएगा कि कोई स्थानांतरण आदेश पारित नहीं किया गया है और रिट याची एकदम आरंभ से ही विभाग की सेवा करने के लिए तैयार और इच्छुक था, लेकिन उसे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई और अवमानना याचिका दाखिल करने तथा नोटिस जारी होने के पश्चात, रिट याची को 25.10.2025 को कार्यभार ग्रहण कराया गया।

10. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि मामले का महत्वपूर्ण पहलू है जो स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने और उसे अपास्त करने से संबंधित मुद्दे की जड़ तक जाता है, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया है। वह निवेदन करते हैं कि आदेश को अपास्त किया जाए और नए आदेश पारित करने के लिए मामला प्राधिकारी को वापस प्रतिप्रेषित कर दिया जाए।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

12. तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह विवाद में नहीं है कि 13.06.2025 को रिट याची का स्थानांतरण सिद्धार्थ नगर से गोंडा कर दिया गया था और रिट याची को 23.06.2025 को कार्यमुक्त कर दिया गया था। रिट याची द्वारा प्रस्तुत रिट-ए संख्या 9224 वर्ष 2025 में 10.07.2025 को स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी गई थी और अंततः स्थानांतरण आदेश को अभिखंडित करते हुए 31.07.2025 को रिट याचिका स्वीकार कर ली गई थी। रिट याची का दावा है कि उसे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए उसने अवमानना आवेदन प्रस्तुत किया और नोटिस जारी होने पर, रिट याची को 25.10.2025 को कार्यभार ग्रहण कराया गया। आक्षेपित आदेश इस तथ्य पर आगे बढ़ता है कि अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



04.10.2025 और 13.10.2025 को प्रश्नगत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने के बावजूद, रिट याची ने 25.10.2025 को कार्यभार ग्रहण किया, इस प्रकार, रिट याची को अवकाश की स्वीकृति के लिए आवेदन करना होगा, इसे एक सही दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है, विशेष रूप से तब, जब स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाने के प्रभाव तथा उसके परिणामस्वरूप उसे अपास्त किए जाने से संबंधित मामले के महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है। विधि सुस्थापित है कि एक बार कोई आदेश अपास्त कर दिया जाता है, तो यह माना जाता है कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। चूंकि मामले के पूर्वोक्त महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है, इस प्रकार, आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

13. तदनुसार, रिट याचिका पर निम्नलिखित तरीके से निर्णय लिया जा रहा है:

(a). प्रत्यर्थी संख्या 6, अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खंड, सिद्धार्थ नगर द्वारा पारित दिनांक 02.01.2026 का आदेश अपास्त किया जाता है।

(b). आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर रिट याची को नोटिस देने के पश्चात विधि के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने के लिए मामला वापस प्रतिप्रेषित कर दिया जाता है।

14. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

15. आज दाखिल किए गए अनुदेशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट-ए के रूप में चिह्नित किया जाता है।

मार्च 10, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।